राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1089/2013/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–चतुर्थ, वृत–डी,जयपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

मै0 टेलरिंग मैटेरियल हाऊस,
नाटाणियों का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री पंकज घीया,
अधिकृत अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 209/अपील्स–II/आरवीएटी/बी/जयपुर/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत–डी, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 03.10.2011 को वाहन संख्या आरजे–14–जीबी–5582 को चौगान स्टेडियम के पास चैक किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक द्वारा मै0 लक्ष्मी कोटसिन लि0 कानपुर का चालान प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार करमुक्त माल 100 प्रतिशत कॉटन क्लॉथ कानपुर से जयपुर के लिए आयात किया जाना पाया गया। भौतिक जांच करने पर परिवहनित माल कर योग्य माल टेलरिंग मैटेरियल कॉलर इन्टरलाईनिंग एवं बेल्ट रोल पाया गया। प्रत्यर्थी द्वारा मिथ्या घोषणा से माल का परिवहन किया जाना होने से सशक्त अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस की पालना में जवाब पेश किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर, सशक्त अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत माल कीमतन रू0 2,51,283/– पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू0 75,835/– तथा धारा 76(12) के अन्तर्गत 5 प्रतिशत से कर रू0 12,564/– कुल रू0 87,949/– आदेश दिनांक 05.10.2011 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध मांग आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 12.11.2012 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए, आरोपित कर व शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा बुक्रम का परिवहन किया जा रहा था जो कि करमुक्त्त वस्तुओं की श्रेणी में आता है। वक्त चैकिंग परिवहनित माल के साथ वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये गये थे। अग्रिम तर्क दिया कि धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण अविधिक है क्योंकि प्रकरण में विवाद का बिन्दु विवादित माल के करमुक्त होने/कर योग्य होने से संबंधित है। सशक्त अधिकारी ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कर व शास्ति का आरोपण किया है। जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवहन के दौरान परिवहनित माल से संबंधित वांछित समस्त दस्तावेज पाये गये थे। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध मांग आरोपित की है जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने उचित आधार मानते हुए आरोपित मांग को अपास्त करने में विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार होने योग्य है।

6. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 12.11.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष